

27/2/2018 वकूलाय 3401

वकील प्रार्थी अभाव पेश करने हेतु समय चाहते हैं,  
जो दिया जाता है। पत्रावली दि. 22/3/2018 को पेश  
की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

22.03.2018

वकूलाय उपस्थित।

उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे बीमार होने के कारण नियत तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया है। प्रकरण में नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने का यथोचित कारण उपलब्ध है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं एकपक्षीय आदेश को अपास्त करावें। वकील अप्रार्थी ने इसके विरोध में कथन किया कि प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करने एवं नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करावें। विधि अनुसार प्रकरण में अधिवक्ता की अनुपस्थिति का खामियाजा पक्षकारान को भगुताया जाना विधि सम्मत नहीं होने के कारण प्रकरण में एकपक्षीय आदेश दिनांक 11.10.2017 को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील संख्या संख्या 15/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल प्रकरण के नत्थी हो।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली